

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 467/2022-35/21-22 फोर्ब/राँची, दिनांक-10.02.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

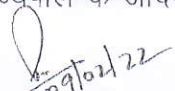
विषय:- झारखण्ड राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बाँधों की सुरक्षा हेतु कराये जाने वाले कार्यों के आकलन तथा मार्गदर्शन हेतु गठित बाँध सुरक्षा समीक्षा दल (Dam Safety Review Panel) के द्वारा निरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु रु० 34,20,000 (रुपये चौतीस लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

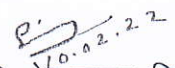
2. झारखण्ड राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बाँधों की सुरक्षा हेतु कराये जाने वाले कार्यों के आकलन तथा मार्गदर्शन हेतु गठित बाँध सुरक्षा समीक्षा दल [Dam Safety Review Panel (DSRP)] के द्वारा निरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु रु० 34,20,000 (रुपये चौतीस लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. झारखण्ड राज्य में बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, फेज-II एवं III (DRIP Phase-II & III) के तहत वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं हेतु सृजित जलाशयों पर निर्मित बाँधों एवं वीयर/बराज की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्यों के सफल कार्यान्वयन, प्रबोधन तथा मार्गदर्शन हेतु विभागीय संकल्प सं०- 823, दिनांक- 11.09.2019, संकल्प सं०- 13, दिनांक- 07.01.2021 एवं संशोधित संकल्प सं०- 30, दिनांक- 12.01.2021 द्वारा मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के नियंत्रणाधीन बाँध सुरक्षा संगठन [Dam Safety Organization (DSO)], राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई [State Project Management Unit (SPMU)] तथा बाँध सुरक्षा समीक्षा दल [Dam Safety Review Panel (DSRP)] का गठन किया गया है।
4. तदनुसार, राज्यान्तर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बाँधों की सुरक्षा हेतु कराये जाने वाले कार्यों के आकलन तथा मार्गदर्शन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-458, दिनांक- 09.06.2021 द्वारा मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के नियंत्रणाधीन DSRP के गठन की निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में 1-अध्यक्ष/3-कोर सदस्य/5-कॉमन पूल सदस्य (कुल-9) का चयन संसूचित है।
5. कंडिका-4 में उल्लेखित, गठित DSRP द्वारा, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक के लिए निरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है।

6. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-
माँग संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष - 80- सामान्य, लघुशीर्ष - 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष - 12- डैम सेपटी एवं हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट-2, 00- sub scheme code, विस्तृत शीर्ष - 05- निर्माण, 45- निर्माण कार्य (49-S-4701-80-796-12-00-05-45) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रु० 34.20 लाख राशि विकलनीय होगा। वर्ष 2021-22 के बजट में प्रावधानित शीर्ष के अन्तर्गत रु० 10.00 लाख का उपबंध है।
7. इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु योजना/कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं०-2, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. इस कार्य हेतु निधि की निकासी डोरंडा कोषागार से की जाएगी।
9. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ कर 2022-23 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम- 174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाए।

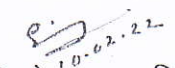
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक- 3/पी०एम०सी०/ कार्य - 467/2022- 35/21-22 प्र० वी०/राँची, दिनांक- 10.02.2022
प्रतिलिपि:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

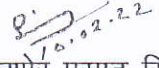

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी०एम०सी०/ कार्य - 467/2022- 35/21-22 प्र० वी०/राँची, दिनांक- 10.02.2022
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, डोरंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

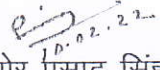

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी०एम०सी०/ कार्य - 467/2022- 35/21-22 प्र० वी०/राँची, दिनांक- 10.02.2022
प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, जल

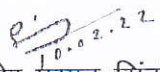
संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं०-2, राँची/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 467/2022-35/21-22 5065/0 /राँची, दिनांक- 10.02.2022
प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

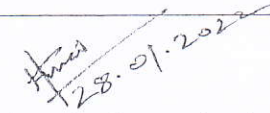

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 3/पी0एम0सी0/ कार्य - 467/2022-35/21-22 5065/0 /राँची, दिनांक- 10.02.2022
प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची/ माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु चेक लिस्ट :-

1	कार्य का नाम	:-	झारखण्ड राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बाँधों सुरक्षा हेतु कराये जाने वाले कार्यों के आकलन त मारगदर्शन हेतु गठित बाँध सुरक्षा समीक्षा दल (Da Safety Review Panel) के द्वारा निरीक्षण कार्य होने वाले व्यय हेतु रु० 34,20,000 (रुपये चौतीस ल बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध मे
2	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	:-	रु० 34,20,000
3	प्रस्तावित विकलनीय बजट शीर्ष	:-	49-S-4701-80-796-12-00-05-45
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये विकलनीय बजट शीर्ष में एकमुस्त प्रावधान	:-	रु० 10.00 लाख
5	विकलनीय बजट शीर्ष में अद्यतन निर्गत आवंटन	:-	रु० 0.00 लाख
6	अवशेष बजट उपबंध	:-	रु० 10.00 लाख
7	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	:-	कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं ज विज्ञान प्रमंडल सं०-2, राँची
8	नियंत्रि पदाधिकारी का पदनाम	:-	मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं ज विज्ञान, राँची
9	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संक्षम प्राधिकार	:-	विभागीय सचिव
	(i) विभागीय सचिव	रु० 5.00 करोड़ तक	
	(ii) विभागीय मंत्री	रु० 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 15.00 करोड़ तक	
	(iii) विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री	रु० 15.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 25.00 करोड़ तक	
	(iv) राज्य मंत्रिपरिषद	रु० 25.00 करोड़ से अधिक	
10	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजना/कार्य से लाभ	:-	Dam Safety Review Panel के द्वारा राज्यान्तर्ग बाँधों के निरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय का भुगतान
11	योजना पूर्ण किये जाने की अवधि (वर्ष)	:-	वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक
12	क्या संलेख/स्वीकृत्यादेश प्रारूप में यथा निर्देशित अवयववार विवरणी अंकित है?	:-	हाँ
13	भूमि उपलब्धता विवरणी :	:-	लागू नहीं।
14	यदि योजना में भू-अर्जन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?	:-	लागू नहीं।
15	यदि योजना में वन-भूमि अपयोजन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	:-	लागू नहीं।
16	यदि योजना में सरकारी भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	:-	लागू नहीं।


 संलेख/स्वीकृत्यादेश तैयार करने वाले
 पदाधिकारी का हस्ताक्षर